राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक :पं.17(20)/प्राशि/आयो./जि. **चूरू**/समन्वयन/2016 दिनांक : 14/06/2016

आदेश

एक ही राजस्व ग्राम में अत्यन्त नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता हैं। जिसके कारण आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम के निकटतम अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रेषित किए गए। समन्वयन के प्रस्तावों की जांच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त,सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर.टी.ई. मापदण्डों के अन्तर्गत जॉच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला **चूरू** के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में समन्वित किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

जिला – **चूरू**

ग्रामीण क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना हैं।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना हैं।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
चूरू	चूरू	इन्द्रपुरा	भोलूसर	राप्रावि0,ढाणी माना भोलूसर	राउप्रावि0,ढाणी भैरूसर	
चूरू	सरदारशहर	उडसर लोडेरा	भैभरा बास उडसर	राप्रावि भेभरा बास उडसर	राबाउप्रावि उडसर	
चूरू	सुजानगढ़	कानूता	कानूता	राशिक गेनाणाताल कानूता	राबाउप्रावि कानूता	
चूरू	बीदासर	बालेरा	हेमासर आथुणा	राप्रावि भैरूजी का रास्ता हेमासर आथुणा	राप्रावि ढाणी नाडिया हेमासर आथुणा	
चूरू	तारानगर	मिखाला	मिखाला	राशिक्षाकर्मी कुशलाना जोहडा	राप्रावि मिखाला	